

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1734/2024

मोहन सिंह त्यागी

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, स्थानीय निकाय, जयपुर राजस्थान, जी-3, राजमहल रेजिडेंटल एरिया, सी-स्कीम, जयपुर।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, जयपुर राजस्थान, जी-3, राजमहल रेजिडेंटल एरिया, सी-स्कीम, जयपुर।
3. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर ग्रेटर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.05.2024

आदेश की दिनांक : 03.05.2024

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री मोहित चौधरी, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. यह अपील कार्मिक मोहन सिंह त्यागी की ओर से मुख्तियार कमला देवी त्यागी की ओर से प्रस्तुत की गयी है।
2. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
3. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी मोहन सिंह त्यागी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 09.01.1985 को फायर मैन के पद पर हुई थी। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.09.2019 को हो चुकी है। अपीलार्थी के वेतन निर्धारण की पुनः जांच की गयी है और अपीलार्थी से बकाया राशि की वसूली किये जाने का नोटिस दिनांक 09.10.2020 जारी किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी से 553710/- रुपये की वसूली किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि वसूली की कार्यवाही कार्मिक की सेवानिवृत्ति के पश्चात गलत प्रकार से की जा रही है।

4. अपीलार्थी ने उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहा है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 8 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)